न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक / III / 2014 निगरानी

निग. 491-III-14

1– सियाराम सिंह पुत्र जगन्नाथ रावत्
निवासी ग्राम कुलवारा परगना
कोलारस जिला शिवपुरी ---आवेदक

विरूद्व

1- नारायण सिंह पुत्र जादौ
निवासी ग्राम मड़ीखेड़ा तहसील कोलारस
जिला शिवपुरी ---असल अनावेदक

2– श्रीमती मीरावाई फेरन सिंह रावत
निवासी ग्राम मढीखेड़ा तहसील कोलारस
जिला शिवपुरी तरतीवीं अनावेदक

(म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत निगरानी – अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर व्दारा प्रकरण क्रमांक 384 / 97--98 अपील में पारित आदेश दि. 15--6--2001 के विरूद्व)

महोदय

निगरानी प्रस्तुत करने के संक्षिप्त कारण

यह कि ग्राम मड़ीखेड़ा स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 560, 561, 563 कुल किता 3 कुल रकबा 3.41 हैक्टर पर आवेदक सन् 1985--86 से (पहिले पिता वाद में आवेदक) उपकृषक होकर बेरोकटोक खेती करता आ रहा है जिसके आधार पर नायव तहसीलदार कोलारस को म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 168 सहपठित 190 / 110 के अंतर्गत आवेदन देकर नामान्तरण की मांग की। नायव तहसीलदार कोलारस ने प्रकरण क्रमांक 5 अ -46 / 1996--97 पंजीबद्व कर हितबद्व पक्षकारों की सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 30--6--97 से आवेदक का उपकृषक होना प्रमाणित होने से उक्त भूमि पर नामान्तरण कर दिया। इसके वाद नारायण सिंह पुत्र जादौ निवासी ग्राम मड़ीखेड़ा ने नायव तहसीलदार को आवेदन देकर आदेश दिनांक 30--6--97 निरस्त करने की मांग की, जिस पर नायव तहसीलदार कोलारस ने सक्षम अधिकारी की अनुमति लिये बिना संहिता की धारा 32 के अंतर्गत पुनरावलोकन किया एंव एकपक्षीय आदेश

XXXIX(a)-BR(H)-11

श्री जी.पी. नायक

एस.पी. व्यास

DD.

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R-491-तीन/14 जिला शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6.5.16	आवेदक अभि. श्री जी.पी. नायक उप० अना. 1 की ओर से श्री एस.पी. व्यास उप० अना. 2 तरतीबी पक्षकार है। शेष रिकॉर्ड मंगाया जावे। [illegible] C.F 25.7.16 [illegible] BR	[illegible] 25.7.16 25.7.16 [illegible]
25.7.16	आवेदक अभिभाषक श्री जी.पी. नायक अनुपस्थित। अना. 1 की ओर से श्री एस.पी. व्यास उप० आवेदक को अनेक बार आवाज लगाने पर अनुपस्थित। अतः प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है प्रकरण रिकॉर्ड दा. हो। [illegible] सदस्य	[illegible] 25.7.16

[कृ. प. उ.